



ग्रामीण सेवा शिविर 2025 कैम्प स्थल - हिमौरिष्ठा - धानसिन्धु गाँव

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चितौडगढ (राज.)

धारा अन्तर्गत - 136

प्र.सं. 738

दापर दिनांक 03/10.2025 निर्णय दिनांक 03/10.2025

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

क्र.सं.	नाम- ग्राम	खान.	रिपोर्ट		कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश	
329	रिसोडिना	329	महोदय जी, निवेदन है कि मुताबिक भारत सरकार के फरवरी 2017 के आदेशानुसार स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर एण्ड जयपुर को स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया में मर्ज किया गया। जो 01 अप्रैल 2017 से लागू हुआ।	वर्तमान प्रविष्टी	शुद्ध प्रविष्टी	कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश
			स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर एण्ड जयपुर	स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया	तहसीलदार कपासन की अनुशंसा स्वीकार की जाकर राज. भू.रा. अ.वि. 1956 की धारा 136 के अन्वये अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम रिसोडिना, म.ह. हिगौरिया खाला संख्या ...9.1.9... में वर्तमान स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर एण्ड जयपुर को शुद्ध किया जाकर स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।	पदेन सहायक कलक्टर कपासन

हस्ताक्षर पटवारी
हस्ताक्षर गिरदावर
हस्ताक्षर व मोहर तहसीलदार

हस्ताक्षर पटवारी
हस्ताक्षर गिरदावर
हस्ताक्षर व मोहर तहसीलदार

कपासन
तहसीलदार (भू.अ.)

कपासन
उपखण्ड अधिकारी
जिला चितौडगढ